राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 2062/2010/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक,
आमेर, जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती उज्जवला के. शाह पत्नि श्री कुबेरदास शाह,
   सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।
2. छीतर सिंह पुत्र प्रताप
3. रघुवीर सिंह पुत्र प्रताप
4. रूप सिंह पुत्र पोखर
5. सुमेर सिंह पुत्र पोखर
6. उदय सिंह पुत्र पोखर
7. सुरेन्द्र सिंह पुत्र पोखर
   निवासी गॉव सरदारपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री खेमराज–अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक .....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

बावजूद सूचना अनुपस्थित .....अप्रार्थी सं. 2 व 7 की ओर से

निर्णय दिनांक 30.06.2017

निर्णय

1. यह निगरानी राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, आमेर, जिला जयपुर द्वारा कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर वृत द्वितीय (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के निर्णय दिनांक 20.05.2010 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 ने ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 629 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 630 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा संख्या 631 रकबा 1.86 हैक्टेयर, खसरा संख्या 642/791 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.55 हैक्टेयर का विक्रय पत्र का दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 09.11.2006 को उपपंजीयक, आमेर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे उपपंजीयक, आमेर ने दिनांक 09.11.2006 को पंजीयन कर पक्षकार को लोटा दिया। बाद में रेन्डम जांच में प्रश्नगत दस्तावेज को कमी मुद्रांक कर का पाया जाने पर अधिनियम की धारा 51 के तहत् कलक्टर(मुद्रांक) द्वारा 20.05.2010 को मुद्रांक कर राशि रूपये 800/– एवं शास्ति राशि रूपये 200/– का आरोपण कर दिया।

लगातार 2

कलक्टर(मुद्रांक) के आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी विभाग द्वारा यह निगरानी पेश की गई है। निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया गया।

3. निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज की जाकर रिकार्ड व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 को नोटिस जारी किये तत्पश्चात नोटिस अखबार में भी साया करवा दिये जाने के बावजूद भी बहस के दौरान उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद ने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि दिल्ली रोड से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रश्नगत भूमि पर 80 वर्गफीट पट्टीपोश निर्माण है तथा एक बोरिंग चालू है अतः रेफरेंस अनुसार मालियत का निर्धारण किया जाना उचित है। आगे उन्होंने अपने कथन में प्रार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया की प्रश्नगत भूमि उपपंजीयक की मौका रिपोर्ट 04.08.2008 के अनुसार मुख्य राजमार्ग दिल्ली रोड से लगभग 600 मीटर दूर स्थित है। आगे उन्होंने अपने कथन में कलक्टर(मुद्रांक) के आदेश का समर्थन करते हुए प्रार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया, एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणवागुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है। उपपंजीयक की मौका रिपोर्ट 04.08.2008 के अनुसार प्रश्नगत भूमि मुख्य राजमार्ग दिल्ली रोड से लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसी बात का वर्णन कलक्टर(मुद्रांक) ने भी अपने आदेश में कर रखा है। इस प्रकार कलक्टर(मुद्रांक) द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, एवं उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि की सही मालियत का आंकलन करते हुए आदेश पारित किया गया है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर, कलक्टर(मुद्रांक) निर्णय दिनांक 20.05.2010 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

3/1/17

(खेमराज)
अध्यक्ष